PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Thursday 27th March 2014, Page: 14
Width: 8.36 cms, Height: 6.38 cms, a4, Ref: pmin.2014-03-27.36.130

'गरीबों को फ्री दवा देने पर मिलेगा सीएसआर क्रेडिट'

भाषा, नई दिल्ली : मरीजों को मेडिसिन मुहैया करवाना दवा कंपनियों के लिए सामान्य बात है। हालांकि अगर दवा कंपनी गरीब मरीजों को मुफ्त में दवा देती है तो उसे कॉरपोरेट सोशल रेसपॉन्सबिलिटी क्रेडिट का लाभ मिलेगा। इस बारे में केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट को सूचित किया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार गंभीर बीमारी या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या से पीड़ित गरीब मरीजों को दवाई उपलब्ध करवाना सीएसआर का काम है। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि अगर कंपनियां दवा दान में देती हैं, तो क्या उन्हें सीएसआर क्रेडिट मिलेगा क्योंकि नियमों के अनुसार कंपनियों द्वारा सामान्य गतिविधियों के तहत किया गया काम इस लाभ के दायरे में नहीं आएगा। कोर्ट इस संबंध में दो याचिकाओं पर अंतिम दलीलों को सुन रही है।